

तारीख हुज्ज

हुज्ज या कार्यवाही भव लघुहरस्ताकर जज

अपील नामान्तरण

26-5-2017

15.5.21

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्तं अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 3.6.21 को पेश हो।

[Signature]

3.6.21

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्तं अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 7.7.21 को पेश हो।

[Signature]

7.7.21

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्तं अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21.7.21 को पेश हो।

[Signature]

21.7.21

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्तं अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 4.8.21 को पेश हो।

[Signature]

04.08.2025

[Handwritten notes and signatures]

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील अपीलान्ट्स ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि पक्षकारान् ने आपस में मिल सामाजिक स्तर पर राजीनामा कर विवाद का आपसी सहमति से समाप्ता कर लिये जाने से अपीलान्ट्स उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाकर अपील नामान्तरण को इसी स्तर पर विद्वा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

उजिला

सं. नं. २०२१/२०१९

नम्बर

अहका

हुक्म व

पे ७

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहरताकार जज

अपील नामान्तरण

सं. नं. - १३/२०१९

रेस्पोंडेण्ट्स ने प्रार्थना पत्र पेशकर अवगत कराया कि वादिया द्वारा बिना राजीनामा पेश किये ही अपना वाद विद्धा किया जा रहा है। उक्त अपील नामान्तरण बिना राजीनामा का आधार मानते हुए वाद विद्धा करती है तो इसके लिए प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं होने बाबत अवगत कराया है।

अतः वकील अपीलान्ट्स के निवेदन व वकील प्रतिवादीगण की बिना राजीनामा के आधार पर सहमति पर उक्त अपील नामान्तरण को इसी स्तर पर विद्धा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

३८

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)